न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 06/2021
GCMS No-2021/26

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. सुनील कुमार पुत्र गजराज जैन (विक्रेता) मैसर्स– श्री लक्ष्मी सुपर बाजार, प्रताप बाजार रानी (पाली) 2. हरीश कुमार पुत्र शंकरलाल (मालिक) मैसर्स– श्री लक्ष्मी सुपर बाजार, प्रताप बाजार रानी (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण उपस्थित

—: निर्णय :—

दिनांक : 08.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 10.02.2020 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थीगण की फर्म श्री लक्ष्मी सुपर बाजार, प्रताप बाजार रानी पर पहूँचा, वहॉ पर सुनील कुमार (विक्रेता) उपस्थित मिला, जिसने बताया कि हरीश कुमार अप्रार्थी संख्या 2 मालिक है। विक्रेता की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया की आमजन में बिक्री हेतु 15 किग्रा घी के तीन पैक टीन ब्राण्ड सरस के रखे हुए थे, जिनमें मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात टिन खुलवाकर 800 ग्राम घी के नमूने को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा घी को चार भागों में विभक्त कर चार शीशीयों में भरकर, उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1030 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./100/एक्ट/2020/99 दिनांक 20.02.2020 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी को Unsafe food का होना जाहिर किया। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा पुनः उक्त नमूने की जांच रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे से करवाई गई। जिसके अनुसार उक्त घी का नमूना sub-standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य घी सरस ब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने वक्त बहस जूर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उससे भूल हो गई तथा भविष्य में कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। अतः उचित जुर्माना अधिरोपित कराने का आदेश प्रदान करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.02.2020 को दौराने गस्त अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की फर्म पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी संख्या 1 सुनील कुमार पुत्र गजराज जैन (विक्रेता) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2020 को आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए घी (ब्राण्ड सरस)को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1030 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./100/एक्ट/2020/99 दिनांक 20.02.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1030 को "The sample of Ghee bearing Code No. and Sr. No. R-1030 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Unsafe Food under section 3 (1) (zz)(iv) of Food Safety and Standards Act-2006" का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2020/2735–36 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर उसके द्वारा रेफरल खाद्य लेबोरेट्री, पूणे द्वारा करवाई जिसके पत्र क्रमांक आरएफएल/डीओ/166/20/427/2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1030 को " **Opinion : I am of the opinion that, the sample Ghee (Brand-Saras) bearing No. R-1030, does not conform to the standards of Ghee as per Regulation No. 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence Sub-Standard as per section 3 (1)(zx) of Food Satety & Standards Act-2006.**। इस अप्रार्थीगण द्वारा घी (ब्राण्ड सरस) जो जॉच में Sub-Standard पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है तथा इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard खाद्य घी (ब्राण्ड सरस) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 सुनील कुमार पर 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 हरीश कुमार पर 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये कुल 60,000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली